विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0022712

श्री दिलीप जिन्दवानी,
मे0साई समर्थ इण्डस्ट्रीज डिलोरा, सतना — आवेदक
द्वारा – अनमोल मारबल, टिकुरिया टोला,
गोपाल कॉलोनी के पास, सतना

विरूद्ध

अधीक्षण अभियंता (संचा/संधा) वृत्त,
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
सतना (म.प्र.)

— अनावेदकगण

कार्यपालन अभियंता (शहर) संभाग,
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
सतना (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 21.06.2013)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया जाएगा) के प्रकरण क्रमांक 421/2011 श्री दिलीप जिन्दवानी विरूद्ध अधीक्षण अभियंता तथा अन्य एक में पारित आदेश दिनांक 26.11.2011 से असंतुष्ठ होकर आवेदक/उपभोक्ता ने यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक/उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि उसकी औद्योगिक इकाई को 25 हार्स पावर विद्युत भार की आवश्यकता थी । उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 10.11.09 के आधार पर शहर संभाग के सहायक यंत्री द्वारा दिनांक 24.11.2009 को प्राक्कलन स्वीकृत कराकर रू. 348659/– का एडवाईज जारी किया गया था तथा उसके अनुरूप राशिंया जमा कराई गई थी। उसके द्वारा राशि जमा करने पर दिनांक 05.12.2009 को कार्यादेश जारी किया गया तथा दिनांक 26.12.09 को विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया था । विद्युत आयोग के नोटिफेकेशन दिनांक 26.11.2006 को नोटिफिकेशन दिनांक 7.9.2009 के द्वारा अपास्त किया गया था । अनावेदकगण द्वारा विद्युत कनेक्शन

दिए जाने के लिए उससे जो राशि जमा कराई गई थी वह नोटिफिकेशन दिनांक 24.11.2006 के प्रावधानों के अंतर्गत जमा कराई गई थी, जबकि उससे नोटिफिकेशन दिनांक 07.09.2009 के अनुसार चार्ज लिया जाना चाहिए था, अतः अनावेदक गण द्वारा उससे अतिरिक्त राशि ली गई थी उसकी क्रेडिट आगामी बिलों में की जाए ।

3. अनावेदकगण ने उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में यह आपत्ति की है कि उपभोक्ता के आवेदन के अनुसार उसे त्वरित विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता थी, अतः संयुक्त रूप से दो उपभोक्ताओं के लिए त्वरित विद्युत कनेक्शन देने हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया था तथा उपभोक्ता को अ श्रेणी के ठेकेदार से कार्य कराने की अनुमति दी गई थी । उपभोक्ता को म.प्र. नियामक आयोग के नोटिफिकेशन दिनांक 07.09.09 की कण्डिका 4.2.2 अथवा 4.2.3 में से किसी एक विकल्प के आधार पर कार्य कराना प्रस्तावित किया गया था । उपभोक्ता ने त्वरित विद्युत आपूर्ति हेतु कण्डिका क्रमांक 4.2.3 के प्रावधानों के अनुसार कार्य कराने की सम्मति दी थी, अतः उक्त प्रावधानों के अनुसार कार्य कराने की अनुमति दी गई थी । उपभोक्ता ने तत्काल कार्य कराने हेतु ट्रासफार्मर स्थापित किया था, अतः उपभोक्ता वांछित सहायता पाने का अधिकारी नहीं है ।

4. फोरम ने यह निष्कर्ष दिया है कि उपभोक्ता को तत्काल विद्युत की आवश्यकता थी, अतः अनावेदक द्वारा कण्डिका 4.2.3 के अनुसार विभिन्न मदों में राशि जमा कराई गई है जो नियमानुसार है । अतः उपभोक्ता वांछित सहायता पाने का अधिकारी नहीं है ।

5. फोरम के आदेश के विरूद्ध उपभोक्ता ने यह अभ्यावेदन मुख्य रूप से उन्हीं आधारों पर प्रस्तुत किया है, जिन आधारों पर उसने शिकायत प्रस्तुत की थी तथा अनावेदक गण की आपत्ति के वहीं आधार हैं जो आपत्ति उन्होंने फोरम के समक्ष प्रस्तुत की थी ।

6. **विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या** – आवेदक जो कि औद्योगिक उपभोक्ता है विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र स्थापित करने में जो व्यय किया है उसका समायोजन वह अनावेदकगण अर्थात् विद्युत लाईसेंसी से प्राप्त करने का अधिकारी है ?

<u>कारणों सहित आदेश इस प्रकार है</u> :–

7. उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में अनावेदकगण की ओर से प्रारंभिक आपत्ति मुख्य रूप से इस आधार पर व्यक्त की गई है कि एक ही उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष शिकायत की थी कि जबकि प्रश्नगत् ट्रांसफार्मर स्थापित करने का व्यय दो उपभोक्ताओं के द्वारा किया गया था । इस आपत्ति के संबंध में उपभोक्ता की ओर से यह तर्क किया गया है कि मेसर्स सांई सामर्थ इण्डस्ट्रीज के लिए 25 हार्स पावर तथा मेसर्स सदगुरू 2 के लिए 35 हार्स पावर विद्युत भार की पृथक–पृथक आवश्यकता थी, परन्तु यह दोनों

इकाईयां एक ही परिवार से संबंधित है अतः पृथक–पृथक अथवा संयुक्त रूप से शिकायत प्रस्तुत नहीं की गई है ।

8. फोरम के समक्ष शिकायत सांई समर्थ इण्डस्ट्री की ओर से की गई थी तथा अभ्यावेदन भी सांई समर्थ इण्डस्ट्री की ओर से प्रस्तुत किया है, जबकि विद्युत कनेक्शन दिए जाने के लिए प्राक्कलन सांई समर्थ इण्डस्ट्री के साथ सद्गुरू गृह उद्योग के लिए भी दिया गया था तथा जो भी राशि जमा करनी थी वह उक्त दोनों इकाईयों के लिए संयुक्त रूप से जमा की गई थी ।

9. म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किए गए संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली हेतु 2009 में विनियम का पुनरीक्षण किया गया है । उक्त विनियम तथा विद्युत प्रदाय संहिता 2004 के प्रावधानों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि विद्युत कनेक्शन एक इकाई के लिए हो अथवा कई इकाईयों के लिए हो नियम सभी इकाईयों पर समान रूप से लागू होंगे तथा यदि कोई राशि उपभोक्ता द्वारा जमा करना आवश्यक है तो ऐसी प्रत्येक इकाई द्वारा पृथक–पृथक राशि जमा किया जाना आवश्यक होगा । उपभोक्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से राशि जमा किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है । अतः विधि के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में यदि एक ही औद्योगिक इकाई द्वारा शिकायत की गई है तो उसकी शिकायत को इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता कि दूसरे उपभोक्ता ने शिकायत नहीं की है ।

10. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किए गए संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली हेतु विनियमन 2006 बनाए गए थे । अनुज्ञप्तिधारियों तथा उपभोक्ताओं की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2009 में उक्त विनियम का पहली बार पुनरीक्षण किया गया था । विवादित मामलें में उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी के लिए वर्ष 2009 के विनियम प्रभावशील होते हैं ।

11. वर्ष 2004 के विनियम के अध्याय 4 में प्रभारों की वसूली हेतु प्रावधान किए गए हैं और इन प्रावधानों में यह सुनिश्चित किया गया है कि विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से कौन से प्रभार उपभोक्ता से वसूल होंगे और किस प्रभार की लागत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किया जावेगा । विनियम 2009 के ऐसे सुसंगत प्रावधान कण्डिका क्रमांक 4.2.2 इस प्रकार हैं :

4.2.2. (a) For providing power supply to an individual Non-Domestic or industrial consumer or other LT consumer not covered elsewhere, the required LT lines/cables up to the Distribution Mains of the consumer shall be laid at the cost of the consumer. The Distribution Licensee shall arrange to install Distribution Transformer Sub-station and HT line at its own cost.

12. कण्डिका 4.2.2 के रेखांकित वाक्य (जिसे आदेश दिए जाते समय रेखांकित किया गया) का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र अपनी स्वयं की लागत पर स्थापित करने की व्यवस्था करेगा । इससे यह अर्थ भी ध्वनित होता है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए स्वयं की लागत पर ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र संस्थापित करना आवश्यक नहीं है, अपितु ऐसा उपकेन्द्र स्वयं के व्यय पर संस्थापित करने की व्यवस्था करना आवश्यक है ।

13. प्रश्नगत् मामलें में उपभोक्ता औद्योगिक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है । ऐसे उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय हेतु वितरण अनुाप्तिधारी के लिए यह आवश्यक था कि वह वितरण ट्रांसफार्मर केन्द्र तथा उच्च दाब तन्तु पर अपनी स्वयं की लागत पर संस्थापित करने की व्यवस्था करें । उपभोक्ता को तत्काल विद्युत प्राप्त करने की आवश्यकता थी तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपने स्वयं के साधनों से तत्काल ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र स्थापित करने में सक्षम नहीं था । ऐसी स्थिति में यदि उसने उपभोक्ता को ऐसा ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र संस्थापित करने की सहमति दी थी तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सहमति के आधार पर उपभोक्ता ने ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र की स्थापना की थी तो इसका यही अर्थ होगा कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय करने के लिए ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र स्वयं की लागत पर संस्थापित करने की व्यवस्था की थी, ऐसी स्थिति में वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र को संस्थापित करने में जो लागत आई थी वह लागत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किया जाना वांछित है । वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सहमति पर यदि उपभोक्ता ने ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र को स्वयं के व्यय पर संस्थापित किया था तो ऐसे ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र को संस्थापित करने में जो व्यय हुआ है उसे उपभोक्ता वितरण अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त करने का अधिकारी है ।

14. उपभोक्ता को शीघ्र विद्युत की आवश्यकता थी, इस कारण कण्डिका 4.2.3 के प्रावधानों के अनुसार उसे वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र स्वयं के व्यय पर संस्थापित करने की अनुमति दी गई थी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के इस तर्क को मान्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी औद्योगिक उपभोक्ता से वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र संस्थापित करने का व्यय लिए जाने का अधिकार वितरण अनुज्ञप्तिधारी को नहीं है, इसके अतिरिक्त वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को स्वयं के व्यय पर वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र संस्थापित करने की अनुमति देने में भी सक्षम नहीं है ।

15. उपरोक्त विवेचन से यह पाया जाता है कि उपभोक्ता को वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र संस्थापित करने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था, उसके निर्देश पर ही उपभोक्ता ने ऐसा ट्रांसफार्मर संस्थापित किया था । वितरण अनुज्ञप्तिधारी का यह निर्देश ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र स्वयं की लागत पर संस्थापित करने की व्यवस्था के अंतर्गत आता है । कण्डिका 4.2.2 के प्रावधानों के अनुसार वितरण अनुाप्तिधारी को ऐसी व्यवस्था करने का अधिकार प्राप्त है, अतः वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र

संस्थापित करने में उपभोक्ता को जो व्यय हुआ था वह व्यय वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किया जाना चाहिए । अतः वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र को संस्थापित करने की लागत का समायोजन उपभोक्ता वितरण अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त करने का अधिकारी होना साबित होता है ।

16. अतः उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन को विधिसंगत होने से उसे स्वीकार किया जाता है । फोरम के प्रश्नगत आदेश को अपास्त किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि अनावेदकगण अर्थात वितरण अनुज्ञप्तिधारी आवेदक/उपभोक्ता के द्वारा वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र तथा उच्च दाब तन्तु पथ को संस्थापित करने में जो लागत अर्थात् व्यय किया गया है उस राशि का समायोजन उपभोक्ता के आगे आने वाले बिलों में किया जावे ।

17. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल